



## वर्तमान महिलाओं में राजनैतिक स्थिति

डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का<sup>1</sup>

<sup>1</sup> सहायक प्राध्यापक (राजनीति-शास्त्र) शासकीय के.आर.डी. कॉलेज नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ.ग.)

### ABSTRACT:

जनमानस में आज भारतीय नारी का बिम्ब एक साहसी ओर प्रफुल्ल, जिज्ञासु, मिनसार, आशा से परिपूर्ण तथा उज्ज्वल भविष्य के प्रति आस्थावान एवं प्रगतिशील नारा के रूप में उभरा है। भारतीय संविधान में नारी के महत्व व उसके अधिकारों को देखते हुये समानाधिकार की व्यवस्था की गई है, जो नारी के प्रति राष्ट्र के उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। नारी समान रूप से उन्नति क्षेत्रों का जो योगदान दिया है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं हो जा सकता। आज महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे साथ मिल-जुलकर काम कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते। आज की महिलाओं ने अपनी योग्यता के आधार पर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है।

### KEYWORDS:

छत्तीसगढ़ की राजनीति एवं शासन में महिलाओं ने आरंभकाल से ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। सन् 2000 से भारतीय गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आये नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा में महिला विधायकों में श्रीमती गीता देवी (डोंगरगाँव) का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, वे विधायिका के साथ ही साथ मंत्री मण्डल में कैबिनेट मंत्री थी।

दिसम्बर 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं में विभिन्न दलों से चुनाव में हिस्सा लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से सुश्री रेणुका सिंह विधायक प्रेमनगर भाजपा के अनुसूचित जनजाति सीट पर विजय हासिल की थी। कु. कामदा जोल्हे बहुजन समाज पार्टी के सारंगढ़ अनुसूचित जाति, श्रीमती पिकी ध्रुव भाजपा सिहावा विधानसभा, अनुसूचित जनजाति, सुश्री लता उर्सेडी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री छ.ग. शासन भी थी, बस्तर भाजपा कोण्डागाँव अनुसूचित जनजाति, सुश्री रमशीला साहू भाजपा गुण्डरदेही विधानसभा के इन विधायकों ने प्रतिनिधित्व किया।

लोकसभा के सन् 2004 के चुनाव में श्रीमती करुणा शुकला जाँजगीर लोकसभा में सांसद सदस्य एक मात्र महिला सांसद निर्वाचित हुई थी, साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य के रूप में श्रीमती कमला मनहर भी कांग्रेस से मनोनीत हुई थी और सेवाएँ दी। इसी तरह श्रीमती इंग्रीड मेक्लाउड को भी राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया। आज राजनीतिक क्षेत्र की निर्णयकारी संस्था में महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन अन्य तथ्य है कि समय के साथ महिला भागीदारी में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1950 के दशक में उनकी भागीदारी 2 से 3 प्रतिशत के बीच थी। सन् 1985 में उन्होंने 8 प्रतिशत भागीदारी सक्रिय है, उनमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक है और राजनीतिक दलों के जो युवा संगठन हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है और वे अपने लक्ष्य 30 प्रतिशत भागीदारी को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

सन् 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी विजय दर्ज कराई, इनमें प्रेमनगर से सुश्री रेणुका सिंह, सक्ती से श्रीमती सरोज राठौर, काटा से रेणु जोगी, बलौदाबाजार से लक्ष्मी बघेल, सिंहावा से अम्बिका मरकाम, डोंडी लोहरा से नीलिमा सिंह, दुर्ग ग्रामीण से प्रतिभा चन्द्राकर, कांकर से सुमित्रा मारकोले, कोण्डागाँव से लता उर्सेडी ने विधानसभा में खुलकर भाग लिया और विजयी रही। मार्च 2009 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम नहीं था।

जाँजगीर-चाम्पा से कमला देवी पाटले एवं सरोज पाण्डेय दुर्ग क्षेत्र से 11 लोकसभा की छत्तीसगढ़ की सीट में विजय हासिल की। महिलाओं को राजनीति में अधिकाधिक भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए, यह आज के युवक की प्रमुख माँग होती जा रही है। विरोधों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है।

अन्य देशों की भाँति भारत में भी महिला आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुसूचित जनजातियों,

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों का है। गैर ब्राह्मणों और ठाकुरों का राजनीति पर वर्चस्व रहा है, किन्तु अब इस अनुसूचित जाति की महिला विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है। छत्तीसगढ़ की महिला विधायकों के लिये यह नितांत जरूरी है, कि वे इस सामाजिक संरचना और विशाल वोट बैंक की प्रकृति को समझे और उसके स्वरूप अपने क्षेत्र में जुट जाये कि क्षेत्र में किस जाति की प्रधानता है। उसी के अनुसार विधायकों को अपनी रणनीति सुव्यवस्थित करनी चाहिये। 12वीं में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक पिछड़े जिलों जैसे बस्तर, सरगुजा और राजनांदगाँव से ही महिला विधायक और सांसद चुनकर आये हैं।

इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों से बहुत कम है। इसके बावजूद इनमें महिला विधायक या सांसद चुनने के कारण यह कहा जा सकता है कि इन पिछड़े कहे जाने वाले क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना बहुत अधिक है। जनमानस में आज भारतीय नारी का बिम्ब एक साहसी और प्रफुल्ल, जिज्ञासु, मिनसार, आशा से परिपूर्ण तथा उज्ज्वल भविष्य के प्रति आस्थावान एवं प्रगतिशील नारा के रूप में उभरा है। भारतीय संविधान में नारी के महत्व व उसके अधिकारों को देखते हुये समानाधिकार की व्यवस्था की गई है, जो नारी के प्रति राष्ट्र के उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। नारी समान रूप से उन्नति क्षेत्रों का जो योगदान दिया है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं हो जा सकता। आज महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे साथ मिल-जुलकर काम कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते। आज की महिलाओं ने अपनी योग्यता के आधार पर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है।

### REFERENCES

1. गुप्ता शर्मा-भारतीय समाज
2. विवके सामान्य ज्ञान परिचय-2002
3. प्रतियोगिता दर्पण-19990